



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112025-267617
CG-DL-E-18112025-267617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4977]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 4977]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5146(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 713(E) तारीख 11/02/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले में NH-931 के कि.मी. 30.050 से कि.मी. 34.900 (अमेठी वार्डपास फेज-II) के मध्य के भू-खण्ड पर सड़क (चौड़ीकरण पेन्ड शोल्डर सहित 2 लेन बनाना आदि) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22 फरवरी, 2025" को "अमर उजाला" और "द टाईम्स ऑफ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दें दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले में NH-931 के कि.मी. 30.050 से कि.मी.34.900 (अमेठी बाईपास फेज-II) के लिए

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: अमेठी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6

तालुक का नाम: अमेठी

गांव का नाम: जंगल रामनगर

1	3279	निजी	कृषिक	0.075	माता प्रसाद मिश्र पुत्र यमुना प्रसाद मिश्र
2	3280	निजी	कृषिक	0.08	रमाकान्त मिश्र पुत्र दुर्गा प्रसाद मिश्र
3	3328	निजी	कृषिक	0.001	रामयश पुत्र गगादीन, गयादेह पत्नी स्व. गगादीन, सूर्यनाथ पुत्र गगादीन, सुधीर पुत्र गगादीन, रामकली पत्नी श्यामलाल, घनश्याम पुत्र श्यामलाल, जयप्रकाश पुत्र श्यामलाल, श्याम सुन्दर पुत्र श्यामलाल
4	3329	निजी	कृषिक	0.9	हुकुमचन्द्र पुत्र गुरुप्रसाद, रामचन्द्र पुत्र गुरुप्रसाद, शंकरपाल पुत्र गुरुप्रसाद, शिवशंकर पुत्र गुरुप्रसाद,

					रमनचन्द्र पुत्र गुरुप्रसाद, गुड्हा देवी पत्नी गुरुप्रसाद, कौशिल्या पत्नी साहबदीन, आशा पत्नी सन्तोष कुमार, सूरज पुत्र सन्तोष कुमार, दीपक पुत्र सन्तोष कुमार
5	3396	निजी	कृषिक	0.025	सूर्यपाल पुत्र रामनरायन, हंसराज पुत्र रामनरायन

गांव का नाम: बरियापुर

6	1069	निजी	कृषिक	0.079	विन्दा प्रसाद पुत्र राजनरायन
7	1070	निजी	कृषिक	0.076	श्रीमती रामपती पत्नी तेज बहादुर
8	769	निजी	कृषिक	0.048	गिरिजा देवी पत्नी स्वामी दयाल, शिवकुमार पुत्र स्वामी दयाल, स्वामी प्रसाद पुत्र स्वामी दयाल

गांव का नाम: रायपुर फुलवारी

9	1373	निजी	कृषिक	0.0131	अमर बहादुर सरोज पुत्र जयंत्री प्रसाद
---	------	------	-------	--------	---

गांव का नाम: बधवरिया

10	332	सरकारी	अकृषिक	0.005	नाला
----	-----	--------	--------	-------	------

गांव का नाम: खेरोना

11	787	निजी	कृषिक	0.025	संदीप कुमार, कुलदीप कुमार, रंजीत कुमार पुत्रगण शैलेन्द्र कुमार, श्रीमती शोभा पत्नी शैलेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवराज बहादुर, राजेन्द्र कुमार सिन्हा पुत्र शिवराज बहादुर, राजेश्वरी पत्नी शिवमूर्ति, पुष्पा पाण्डेय पत्नी कौशल पाण्डेय,
----	-----	------	-------	-------	--

					निर्मला देवी पत्नी रामसमृद्ध जयसवाल, रोहित कुमार सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह, रमाकान्त पुत्र शीतलादीन, तेजवहादुर पुत्र सुदामा प्रसाद
गांव का नाम: बिराहिमपुर					
12	380	निजी	कृषिक	0.034	सब्बीर अहमद खां पुत्र शहीद खां
गांव का नाम: मणिपुर राधौ					
13	51	निजी	कृषिक	0.003	रामकृपाल पुत्र सदानन्द
14	52	निजी	कृषिक	0.003	रामखेलावन पुत्र सदानन्द
15	53	निजी	कृषिक	0.003	अरुण कुमार पुत्र गायत्री प्रसाद
कुल योग				1.3701	

[फा. सं. CE-RO/LKO/LA/NH-931/Bypass/2022-23/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5146(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 713(E) Dated:11/02/2025 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/two laning with paved shoulder etc), Maintenance, management and operation of NH-931 in the stretch of land from Km. 30.050 to Km. 34.900 (Amethi Bypass phase-II) in the district of Amethi in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Amar Ujala" and "The Times of India" both dated "22nd February, 2025" under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-931 in the stretch of land from Km. 30.050 to Km. 34.900 (Amethi Bypass phase-II) in the district of Amethi in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: Amethi		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Amethi					
Village: Jangal Ramnagar					
1	3279	Private	Agricultural	0.075	Mata Prasad Mishra S/O Yamuna Prasad Mishra
2	3280	Private	Agricultural	0.08	Ramakant Mishra S/O Durga Prasad Mishra
3	3328	Private	Agricultural	0.001	Ramyas S/O Gagadin, Gayadei W/O late Gagadin, Suryanath S/O Gagadin, Sudhir S/O Gagadin, Ramkali W/O Shyamlal, Ghanshyam S/O Shyamlal, Jaiprakash S/O Shyamlal, Shyam Sundar S/O Shyamlal
4	3329	Private	Agricultural	0.9	Hukumchandra S/O Guruprasad, Ramchandra S/O Guruprasad, Shankarpal S/O Guruprasad, Shivshankar S/O Guruprasad, Ramachandra S/O Guruprasad, Gudda Devi W/O Guruprasad, Kaushilya W/O Sahabdeen, Asha W/O Santosh Kumar, Suraj S/O Santosh Kumar, Deepak S/O Santosh Kumar
5	3396	Private	Agricultural	0.025	Suryapal S/O Ramnarayan, Hansaraj S/O Ramnarayan
Village: Bariyapur					
6	1069	Private	Agricultural	0.079	Vinda Prasad S/O Rajnarayan
7	1070	Private	Agricultural	0.076	Smt. Rampati W/O Tej Bahadur

8	769	Private	Agricultural	0.048	Girija Devi W/O Swami Dayal, Shivkumar S/O Swami Dayal, Swami Prasad S/O Swami Dayal
Village: Raipur Phoolvari					
9	1373	Private	Agricultural	0.0131	Amar Bahadur Saroj S/O Jayantri Prasad
Village: Baghvariya					
10	332	Government	Non Agricultural	0.005	Nala
Village: Kherona					
11	787	Private	Agricultural	0.025	Sandeep Kumar, Kuldeep Kumar, Ranjeet Kumar Putragan Shailendra Kumar, Smt. Shobha W/O Shailendra Kumar, Rajendra Kumar S/O Shivraj Bahadur, Rajendra Kumar Sinha S/O Shivraj Bahadur, Rajeshwari W/O Shiv Murti, Pushpa Pandey W/O Kaushal Pandey, Nirmala Devi W/O Ramsamuj Jaiswal, Rohit Kumar Singh S/O Om Prakash Singh, Ramakant S/O Sheetaladin, Tejbahadur S/O Sudama Prasad
Village: Birahimpur					
12	380	Private	Agricultural	0.034	Sabbir Ahmad Khan S/O Sahid Khan
Village: Manipura Radhau					
13	51	Private	Agricultural	0.003	Ramkripal S/O Sadanand
14	52	Private	Agricultural	0.003	Ramkhelavan S/O Sadanand
15	53	Private	Agricultural	0.003	Arun Kumar S/O Gayatri Prasad
Total				1.3701	

[F.No. CE-RO/LKO/LA/NH-931/Bypass/2022-23/3D]
SHAIKH AMINKHAN, Director